(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

जीरीएमएस नम्बर :– 2019 / 00984

राजस्व वाद स. 189 / 2019

जगमालसिंह पुत्र श्री हरनारायण उम्र 65 वर्ष जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

– ब ना म –

1. तोताराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी नयागॉव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. भूपसिंह पुत्र श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी नयागॉव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. नेतराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी नयागॉव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. लाधा पत्नी कृष्ण कुमार
5. ईश्वर पुत्र श्री कृष्ण कुमार
6. बैक ऑफ बडोदा शाखा भिंर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 की ओर से श्री विजयपाल यादव अधिवक्ता तथा शेष के विरूद एकपक्षीय कार्यवाही की गई

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::– दिनांकः–23.04.2025

(1). वादीगण की ओर से वाद पत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमी ख.न. 781 रकबा 1.15 हैक्टर के खातेदार वादी [illegible]/115 एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के हकपूर्वाधिकारी धन्नी देवी हिस्सा [illegible]/115 उक्त धन्नी देवी की मृत्यु हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 उक्त धन्नी देवी [illegible] हैं प्रतिवादीस. 1 लगायत 3 उसके पुत्र है तथा प्रतिवादी स. 4 व 5 उक्त धन्नी देवी के मृत पुत्र कृष्ण [illegible] वारीसान हैं कृष्ण की मृत्यु हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 के साथ रहते उक्त [illegible] देवी ने अपने हिस्से की भूमी पर प्रतिवादी स. 6 से ऋण ले रखा हैं वादी अपने 17 / 115 हिस्सा पर काबिज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

2. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता संयुक्त रहने से वादी को अपने हिस्से की भूमी की सीमाए कायम रखने रास्ता की सुविधा उपलब्ध नही होने से उसका अन्यत्र उदेश्य के लिए संपरिवर्तित करवाने एवं ऋण आदि लेने मे काफी असुविधा होती हैं इस पर वादी ने प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 को अपने हिस्से की भूमी के विभाजन हेतु कहा तो वे आनाकानी करने लगे तथा उनकी माता धन्नी देवी के नाम से प्रतिवादी स. 6 के यहाँ से ऋण होने से इस भूमी का खाता विभाजन नही हो पा रहा हैं इसलिए वादी के लिये अपने हिस्से की भूमी का खाता विभाजन हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

3. यह कि वाद वर्णित भूमी वादी की एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 की हकपूर्वाधिकारी धन्नी देवी के नाम से संयुक्त खातेदारी मे होने एवं धन्नी देवी की मृत्यु होने व प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 द्वारा धन्नी देवी के वारीस होने एवं खाता विभाजन से टालमटोल करने से एवं प्रतिवादी स . 1 लगायत 5 द्वारा वादी के हिस्से की भूमी की सीमाये कायम रखने मे बाधा डालने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

4. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमी में वादी का 17 / 115 हिस्सा होने एवं प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 5 की हकपूर्वाधिकारी धन्नी देवी की मृत्यु होने एवं उक्त धन्नी देवी का हिस्सा प्रतिवादी स. 6 के यहाँ रहन होने से पैदा हुआ हैं। अत: दावा अन्दर मियाद हैं।

5. यह कि प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 की माता व प्रतिवादी स. 4 की सास व प्रतिवादी स. 5 की दादी धन्नी देवी की मृत्यु हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 1 लगायत 5उसके वारीस होने से आवश्यक पक्षकार हैं तथा प्रतिवादी स. 6 से प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 के माता का हिस्सा पर ऋण लिया गया है प्रतिवादी स. 7 लैण्ड होल्डर हैं इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया हैं।

अधिकारी
(राज.)
जिला झुंझुनूं

वादीगण ने वाद पत्र पेश अनुतोष चाहा है कि:–

(क). कि वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.) स्थित भूमी ख.न. 781 रकबा 1.15 हैक्टर मे वादी के 17 / 115 हिस्सा का खाता विभाजित कर विभाजन मे प्रत्येक खातेदार के लिए रास्ता का प्रावधान करते हुये सीमाकन एवं मापन कर विभाजन किये जाने कि कृपा करें एवं राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश तहसीलदार बुहाना को दिये जाने कि कृपा करें

(ख). कि प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 को जरिए स्थाई [illegible] से पावन्द किया जावे कि वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहा[illegible] 15 हैक्टर मे वादी के 17 / 115 हिस्सा के कब्जा काश्त उपयोग — उपभो[illegible] बाधा कारित नही करे ऐसा कृत्य ना स्वय करे ना किसी अन्य से करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा एवं प्रतिदावा पेश किया गया प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 1 जिस भांति दर्ज है स्वीकार नही है। वाद पत्र का खण्ड न. 1 मे वादी का 17/115 हिस्सा व प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 के हक मे पूर्वाधिकारी धन्नी देवी का 98/115 हिस्सा स्वीकार है। धन्नी देवी की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी स.1 लगायत 5 धन्नी देवी के वारीसान होना स्वीकार हैं विवादित भूमि मे प्रतिवादी स. 4 लगायत 5 का कोई हिस्सा नही हैं क्योकि विवादित भूमि मृतक धन्नी देवी ने अपने जीवनकाल मे ही प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 के पक्ष मे जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03.03.2016 को वसीयतनामा किया गया हैं इसलिए प्रतिवादी स. 4 व 5 का कोई हिस्सा नही हैं विवादित भूमि पर प्रतिवादी स.1 लगायत 3 ही काबिज कास्त हैं।
2. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 2 गलत हैं स्वीकार नही हैं वादी व प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 का बाहमी बंटवारा हो चुका हैं व बाहमी बटवारे के आधार पर वादी व प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 अपने – अपने हिस्से पर काबिज कास्त हैं।
3. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 3 गलत हैं स्वीकार नही हैं।
4. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 4 गलत हैं स्वीकार नही हैं।
5. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 5 गलत हैं स्वीकार नही हैं।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 6 क्षेत्राधिकार से संबधित हैं इसलिए उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
7. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 7 कोर्ट फीस से संबंधित हैं इसलिए उतर की आवश्यक्ता नही हैं।
8. यह कि वाद पत्र का खण्ड न. 8 गलत हैं स्वीकार नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

अतः दावा दावा पेश कर अर्ज हैं कि वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज फरमाया जावे।

प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 की ओर से प्रतिदावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं –

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी कला स्थित भूमि ख.न. 781 रकबा 1.15 हैक्टर के खातेदार कास्तकार जगमाल सिंह पुत्र हरनारायण हिस्सा 17/15 जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द , धन्नी देवी पत्नि इन्द्राज सिंह हिस्सा 98/115 जाति अहीर निवासी रामसर तन् पचेरी खुर्द सम्वत् 2075 से 2078 दर्ज रिकॉर्ड हैं।
2. यह कि धन्नद देवी पत्नि इन्द्राज का स्वर्गवास हो चुका हैं जिसके वारीसान प्रतिदावाकर्तागण व प्रतिदावा के प्रतिवादी स. 2 व 3 हैं।
3. यह कि विवादित भूमि स्व. धन्नी ... खरीदशुदा भूमि तथा स्व. धन्नी देवी ने अपनी हिस्से की 98/115 ... वसीयत दिनांक 03.03.2016 को वसीयतनामा किया गया है तथा वसीयतनामा के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार कास्तकार मूल वाद के प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 व प्रतिदावा के वादीगण घोषित होने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि विवादित भूमि के 98/115 हिस्से मे से प्रतिदावाकर्ता स. 1 को 1/3 हिस्से तथा प्रतिदावाकर्ता स. 2 को 1/3 हिस्से व प्रतिदावाकर्ता स. 3 को 1/3 हिस्से का

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खातेदार कास्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हैं इसलिए यह वाद घोषणात्मक पेश किया जा रहा हैं।

5. यह कि दावे के लिए आधार विवाद गत 10 रोज पूर्व रिकॉर्ड की नकल लेने से प्रतिदावाकर्ता के नाम रिकॉर्ड दर्ज नही होने की जानकारी होने से पैदा हुआ हैं अतः दावा सावधि पेश हैं वैसे भी कानून मे वाद घोषणात्मक हेतु कोई मियाद निर्धारित नही हैं।

6. यह कि विवादित भूमि वाके ग्राम पचेरी कलां मे स्थित हैं जो कि न्यायाल श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे स्थित हैं इसलिए न्यायालय श्रीमानजी को यह वाद सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

7. यह कि राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तृतीय परिशिष्ट में वाद घोषणात्मक हेतु 1/–रू. कोर्ट फीस पर सहायक कलेक्टर के यहां वाद पत्र पेश करना दर्ज हैं इसलिए न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष यह प्रतिदावा एक रू. कोर्ट फीस पर पेश हैं।

8. यह कि विवादित भूमि प्रतिदावा के प्रतिवादी स. 4 के यहां रहन होने व प्रतिवादी स. 5 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी पक्षकाय बनाये गये हैं।

9. यह कि आज दिनांक तक रिकॉर्ड अपटुडेट हैं तथा प्रतिदावाकर्ता स.1 का शपथ पत्र सलग्न हैं।

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि –

(क). कि वाके ग्राम पचेरीकलां स्थित हाल ख.न. 781 रकबा 1.15 हैक्टर मे से 98/115 मे से प्रतिदावाकर्ता स. 1 को 1/3 व प्रतिदावाकर्ता स. 2 को 1/3 तथा प्रतिदावाकर्ता स. 3 को 1/3 हिस्से का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे।

(ख). कि विवादित भूमि मे से प्रतिदावाकर्तागण को 98/115 हिस्से का प्रतिदावाकर्तागण को घोषणा के आधार पर प्रतिदावाकर्तागण के हिस्से का खाता विभाजन किया जाकर शामिल रखा जाकर अलहदा लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद कराया जावे।

(ग). कि अन्य अनुतोष जो अयाचित रह गया हो जिसे न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

(घ). कि हर्जा खर्चा दावा दिलाया जावे।

प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 ने दिनांक 22.03.2021 को जवाब नही देना चाहा एवं स्वय अधिवक्ता प्रतिवादी स. 1 लगायत 3 द्वारा इस सम्बध में आदेशिका पर अंकन किया गया हैं पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका 22.03.2021 उपलब्ध हैं जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा रीडर के नाम से अंकन किया गया हैं इसलिए जवाबदावा पत्रावली पर उपलब्ध हैं एवं [illegible] गई। उसके बाद दिनांक 18.08.2022 को बिना ही अनुमति के एक प्रतिदावा पेश करने की अनुमति लिये बिना प्रतिदावा पेश कर दिया। इसलिए उक्त प्रतिदावा को रिकॉर्ड पर नही लिया जाकर "डी" पार्ट में रखा जाता हैं। वादी ने भी प्रतिदावा का जवाब नही देना चाहा लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उक्त प्रतिदावा रिकॉर्ड पर ही नही हैं तो उनका जवाब देने या नही देने का कोई महत्व नही रह गया हैं इससे पहले पत्रावली वास्ते बहस नियत थी। जिस पर दोनो पक्ष की सहमति से बहस सुनी गई। वादी का दावा केवल खाता विभाजन का हैं एवं खाता विभाजन में पक्षकार सहमत हैं ऐसी स्थिति मे वादी का दावा अंतिम रूप से डिक्री योग्य पाया जाता हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की और से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा व जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.10. 2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 499 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1959 दिनांक 01.08.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 की और से श्री विजयपाल यादव एड. द्वारा वकालतनामा पेश कर निवेदन किया की दिनांक 23.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश की गई है। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने ऐतराज पेश किया उसमें हल्का गिरदावर पचेरी कंला ने वादी से मिलकर उसको फायदा पहुँचाने के लिए नक्शे मौके में दर्शित 781/2 रकबा 0.17 है0, भूमि सडक के किनारे रोड से लगती हुई दी है। जो गलत दी है। जबकि वास्तविक रूप में वादी का कब्जा खसरा नम्बर 281 में पश्चिम दिशा में ग्राम संग्रामपुरा से बुहाना पचेरी सडक तक आने वाले कच्चे रास्ते के सहारे सहारे पश्चिमी मेड़ पर ख0 न0 781 के उत्तरी कोने से लेकर दक्षिणी कौने तक है तथा वही काबिज काश्त है। जबकि जहॉ हल्का गिरदावर ने उत्तरी पूर्वी कोने पर सड़क से सटकर ही है। जो गलत है। जबकि जहॉ पर वादी को जमीन दी है वह जमीन तो आज भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के कब्जे में है। विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त अनुसार नही तैयार किये गये है। वकील वादी ने मौखिक बहस पेश कि जिसमें निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार तैयार किये गये है। अतः कब्जे काश्त व हिस्से अनुसार के आधार पर मुताबिज विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अन्तिम डिक्री करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेजों ... ति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ... पश्चात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन ... किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम पचेरी कंला स्थित भूमि हाल खाता संख्या 165 में उभय पक्षकारान के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

– :: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित हाल खाता संख्या 165 के ख0 न0 781 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि मे उभय पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर को हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
(सुमन देवी II)
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 23/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी II, आर.ए.एस

राजस्व वाद स. 189/2019 जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00984

जगमालसिंह पुत्र श्री हरनारायण उम्र 65 वर्ष जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

– बनाम –

1. तोताराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी नयागॉव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
2. भूपसिंह पुत्र श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी नयागॉव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
3. नेतराम पुत्र श्री इन्द्राज जाति अहीर निवासी नयागॉव तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. लाधा पत्नी कृष्ण कुमार
5. ईश्वर पुत्र श्री कृष्ण कुमार
6. बैक ऑफ बडोदा शाखा भिर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री राजेश कुमार यादव एडवोकेट की उपस्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री विजयपाल यादव एडवोकेट की उपस्थिति में व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

" न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित हाल खाता संख्या 165 के ख0 न0 781 रकबा 1.15 हैक्टर भूमि में उभय पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता ... मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...23/4/25... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.) एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:43:27 IST
Reason: SelfAttested